न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड सं०– यू0 पी0 6538

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 06/2026

(C.N.R. UPET010000032026)

1. पप्पन उर्फ विमलेश उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र जौहरीलाल उर्फ वीरेन्द्र,
2. वीरेन्द्र उम्र करीब 59 वर्ष पुत्र जौहरीलाल उर्फ जौहर सिंह,
3. ऋषिपाल उम्र करीब 51 वर्ष पुत्र जौहरीलाल,
4. श्रीमती शांति उर्फ रेशम देवी उम्र करीब 62 वर्ष पत्नी वीरेन्द्र,
5. अखिलेश कुमारी उर्फ अखिलेशा देवी उम्र करीब 55 वर्ष पत्नी ऋषिपाल,
6. नितिन उर्फ रिंकू उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र ऋषिपाल,
7. सरिता उम्र करीब 30 वर्ष पुत्री ऋषिपाल पत्नी उपेन्द्र,

निवासीगण ग्राम नगला चंदी, थाना नयागांव, जिला एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार –––––विपक्षी

मु०अ०सं०–99/2024
धारा–191(2),115(2),352,351(3),
110 बी०एन०एस०
थाना–नयागांव, जिला एटा।

06.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण **पप्पन उर्फ विमलेश, वीरेन्द्र, ऋषिपाल, श्रीमती शांति उर्फ रेशम देवी, अखिलेश कुमारी उर्फ अखिलेशा देवी, नितिन उर्फ रिंकू** एवं **सरिता** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**99/2024,** अन्तर्गत धारा–**191(2),115(2),352, 351(3),110 बी०एन०एस०,** थाना–**नयागांव**, जिला एटा के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रामेश्वर ने अपनी पुत्री यशोदा की शादी विमल के साथ की थी, करीब 6 महीने पहले उसने अपने साले राजू की बेटी काजल की शादी अपनी पुत्री यशोदा के देवर पप्पन उर्फ विमलेश के साथ कराई थी। शादी के बाद से ही काजल को उसका पति पप्पन उपरोक्त मारता पीटता था। उन लोगो ने उसे कई बार समझाया भी था, लेकिन वह नही माना। दिनांक 19/10/24 को वह अपने भाई वीरेश्वर, अपने पुत्र शीलेन्द्र तथा भतीजा शिवम के साथ अपनी पुत्री यशोदा के घर ग्राम नगला चन्दी गया था। जब उन लोगो ने काजल के पति पप्पन उर्फ विमलेश को समझाने की

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.03.06 15:30:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोशिश की तो पप्पन, वीरेन्द्र, ऋषिपाल, शांन्ति, अखिलेश कुमारी, रिंन्कू, सरिता ने एक राय होकर लाठी डण्डो व सरिया से उन लोगो के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसके पुत्र शीलेन्द्र व भतीजे शिवम व पुत्री यशोदा के सिर में काफी गंभीर चोटे आयी है, जिनके सिर से काफी खून बह रहा है। तभी मौके पर मुखराम आ गये, जिन्होंने बमुश्किल बचाया। इस घटना को उसकी बेटी काजल ने मौके पर देखा। इन सभी लोगो ने मारपीट करने के बाद धमकी दी और कहा की सालो अगर थाने जाकर मुकदमा लिखाया तो उन लोगो को जान से मार देंगे।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण निर्दोष है। उन्हें झूठा फँसाया गया है। विपक्षीगण के विरुद्ध आवेदकगण की ओर से भी परिवाद दर्ज किया गया था, जिसे अवर न्यायालय द्वारा धारा 226 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत खारिज कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध दाण्डिक निगरानी विचाराधीन है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क सुना व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अग्रिम जमानत का प्रावधान निम्न प्रकार अंकित है–

(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निदेश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन निदेश देता है तब वह उस विशिष्ट के के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निदेशों में ऐसी शर्तें, जो वह ठीक समझे, सम्मिलित कर सकता है, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं–

i. यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा;
ii. यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा;

iii. यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुजा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो।

(3) यदि तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा; तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारण्ट जारी किया जाना चाहिए, तो वह उपधारा (1) के अधीन न्यायालय के निदेश के अनुरूप जमानतीय वारण्ट जारी करेगा।

(4) इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले को लागू नहीं होगी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री गुरुबक्स सिंह सिबिया व अन्य बनाम स्टेट आफ पंजाब राज्य (1980)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 565** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करते समय यह निर्धारित करना चाहिए कि अपराध की गम्भीरता कितनी है और क्या अभियुक्तगण की उपस्थिति विचारण के दौरान सुनिश्चित की जा सकेगी अथवा वह मुकदमे के गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा जनहित व राज्य का हित भी न्यायालय को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिद्धाराम सत्यलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2011 (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 694** की विधि व्यवस्था के प्रस्तर संख्या 112 में यह भी निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को अग्रिम जमानत निस्तारित करते समय निम्नलिखित माप दण्ड अपनाया जाना चाहिए–

1. अपराध की प्रकृति एवं उसकी गम्भीरता तथा अपराध कारित करने वाले अभियुक्तगण की भूमिका,
2. अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास तथा यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि में जेल गया हो,
3. अभियुक्तगण के मुकदमे के विचारण के दौरान अनुपस्थित होने की सम्भावना,
4. अभियुक्तगण द्वारा पुनः ऐसे ही अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की सम्भावना,
5. अभियुक्तगण को केवल चोट पहुँचाये जाने अथवा प्रताड़ित किये जाने हेतु गिरफ्तार किया जाना,
6. अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से जनता के लोगों में उसका प्रभाव,
7. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर अत्यधिक सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए,
8. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को दोनो तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि विवेचना स्वतंत्र, साफ सुथरी हो और अभियुक्तगण का भी कोई उत्पीड़न या अपमान करने का आशय नहीं होना चाहिए,

9. अभियुक्तगण के द्वारा गवाहों को, अथवा वादी को कोई धमकी, उत्प्रेरणा या वचन दिये जाने की सम्भावना का भी ध्यान रखना चाहिए,
10. न्यायालय को अग्रिम जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सभी सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखना चाहिए तथा अभियोजन पक्ष के केस में यदि संदेह हो, तब जमानत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सामान्यता अभियुक्तगण को जमानत दिया जाना चाहिए–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा ***श्रीमती बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 सरकार एवं एक अन्य, 2025 AHC 136034*** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ आरोप–पत्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये बिना दाखिल किया गया है और अन्वेषण अधिकारी ने सम्पूर्ण जाँच अवधि में अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता अनुभव नहीं की हो अथवा अभियुक्तगण ने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया हो, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का औचित्य नहीं है तथा वह अग्रिम जमानत/संरक्षण आदेश प्राप्त करने अथवा उस पर निरन्तर लाभान्वित होने का अधिकारी होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनोपरांत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें सात वर्ष से अधिक सजा का प्राविधान नहीं है। मामले में दौरान विवेचना धारा 110 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का इस मामले के अतिरिक्त अन्य किसी मामले का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **पप्पन उर्फ विमलेश, वीरेन्द्र, ऋषिपाल, श्रीमती शांति उर्फ रेशम देवी, अखिलेश कुमारी उर्फ अखिलेशा देवी, नितिन उर्फ रिंकू** एवं **सरिता** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**99/2024,** अन्तर्गत धारा–**191(2),115(2),352, 351(3),110 बी०एन०एस०,** थाना–**नयागांव**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक आवेदक/अभियुक्त को रूपये पचास–पचास हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि का एक–एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनॉकः 06.03.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
JO Code UP 6538